कार्यालय प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह कोटा

क्रमांकः– प.3( )/अकेड–1/2020/754 दिनांक4 .12.2020

कार्यालय आदेश

श्रीमान् शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.7(45) चि.शि.नि. /एके/2017/5747 दिनांक 04.12.2020 (आदेश की प्रति संलग्न) द्वारा दिए गए निर्देशों के पालना में इस महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष, PSM, Medicine, Psychiatry, Anaesthesia को निर्देशित किया जाता है की वे अपने विभाग में इन्टर्नशिप करने हेतु उपस्थित समस्त इन्टर्नस की डयुटी पूर्ण अवधि के लिए कोवीड़ हॉस्पीटल में लगाएं। उक्त इन्टर्नस की उपस्थिती अधीक्षक, एन.एम.सी.एच. कोटा द्वारा प्रमाणित की जाएगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

Sd

(डॉ. विजय सरदाना)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अति0 प्रधानाचार्य प्रथम /द्वितीय/तृतीय मेडिकल कॉलेज कोटा
2. अधीक्षक, एन.एम.सी.एच. कोटा को भेजकर लेख है कि आपके यहां उपस्थित समस्त इन्टर्नस की डयुटी कोवीड़ हॉस्पीटल में लगाएं।
3. मुख्य प्रभारी अधिकारी, अकेडमिक, मेडिकल कॉलेज कोटा
4. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल को भेजकर लेख है कि वैवसाइट पर अपलोड़ करें।
5. विभागाध्यक्ष PSM, Medicine, Psychiatry, Anaesthesia को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चत करें।

(डॉ. विजय सरदाना)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

प.7(45) चि.शि.नि./एके/2017/ 5747 दिनांक 4/12/2020

संशोधित आदेश

इस विभाग के आदेश कमांक प.7(45)/डीएमई/एकेड/2017/225 दिनांक 23.11.2020 में तालिका प्रथम आंशिक संशोधन करते हुये Obst / Gyne. Including Family 2 month एवं Welfare Planning 2 month के स्थान पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अधिसूचना के अनुसार Obst / Gyne. Including Family Welfare Planning 2 माह पढा जावें। साथ ही तालिका द्वितीय में Psychiatry के स्थान पर Medicine including Psychiatry पढा जावें। शेष आदेश यथावत रहेगा।

(वैभव गालरिया)
शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज /राजमेस /झालावाड / संघटक राज.स्वा.वि.वि. जयपुर।
5. अधीक्षक, समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज संबद्ध चिकित्सालय।
6. निदेशक, राजमेस जयुपर राज.।
7. अन्य संबंधित।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा

D:\E Drive\feb 2019 letters\Circular letter putup.docx

राजस्थान मेडिकल एजूकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)
गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी,
चिकित्सा शिक्षा भवन, गोविन्द मार्ग, जयपुर–302004

क्रमांक प. 7(45)डीएमई / एकेड / 2017/225 जयपुर, दिनांक 23.11.2020

–: आदेश :–

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अधिसूचना क्रमांक एमसीआई–34(41) / 2008–मेड / 29527 दिनांक 20.10.2008 द्वारा जारी प्रावधानों के अनुसार एमबीबीएस कोर्स में इन्टर्नशिप के लिये विभिन्न विशिष्ठओं के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित किया गया है।

Community Medicine	2 Months
Medicine including 15 days of Psychiatry	2 Months
Surgery including 15 days Anaethesia	2 Months
Obst./Gynae. Including Family	2 Months
Welfare Planning	2 Months
Paediatrics	1 Months
Orthopaedics including PMR	1 Months
ENT	15 days
Ophthalmology	15 days
Casualty	15 days

वर्तमान में कोविड–19 वैश्विक महामारी की विशेष परिस्थितियों को देखते हुये यह निर्णय लिया गया है। एमबीबीएस इन्टर्नशीप के अन्तर्गत उपरोक्त विशिष्ठताओं में निम्न विशिष्ठताओं में इन्टर्नशीप की अवधि में इन्टर्न Exclusive रूप से कोविड अस्पताल में अपनी ड्यूटी देंगे:–

क्र.स.	विशिष्ठता	दिन
1.	Community Medicine	2 माह
2.	Psychiatry	2 माह
3.	Anaethesia	15 दिन

समस्त राजकीय, निजी, आरयूएचएस एवं झालावाड़ मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रकों कों यह निर्देशित किया जाता है कि कोविड की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये उनके अधीन इन्टर्नशीप कर रहे एमबीबीएस विद्यार्थियों की उपरोक्त साढ़े चार माह की समयावधि में उनके अधीन संचालित कोविड अस्पतालों में इन्टर्न की आवश्कतानुसार रोटेशन पर ड्यूटी लगाया जाना सुनिश्चित करें।

इन्टर्न द्वारा उपरोक्त अवधि में संतोषपद्ध ड्यूटी किये जाने का प्रमाण–पत्र संबंधित विभागाध्यक्ष के साथ कोविड चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जायेगा। तदउपरांत ही प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक उपरोक्त प्रमाण–पत्र को स्वीकार करेंगे।

इन्टर्न द्वारा उपरोक्त अवधि की ड्यूटी पूर्ण नही किये जाने पर उसकी इन्टर्नशीप पूर्ण नही मानी जायेगी एवं तदनुसार इन्टर्नशीप अवधि को बढ़ाया जायेगा।

उपरोक्त आदेश राज्य के समस्त (सरकारी, निजी, आरयूएचएस एवं झालवाड़) चिकित्सा महाविद्यालयों में इन्टर्न कर रहे विद्यार्थियों पर लागू होगा एवं इस पर इस परिस्थिति का कोई प्रभाव नही होगा की संबंधित विद्यार्थी एमबीबीएस के दौरान अध्ययन किस चिकित्सा महाविद्यालय से किया है।

(वैभव गालरिया)
शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज/राजमेस।
5. अधीक्षक, समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज संबद्ध चिकित्सालय।
6. निदेशक, राजमेस, जयपुर, राजस्थान।
7. अन्य संबंधित।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा